

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-1/1/ख/29/900  
प्रति,

भोपाल दिनांक 19/05/2020

- 1- संयुक्त संचालक/उप संचालक  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय भोपाल/नर्मदापुरम्/उज्जैन/  
रीवा/सागर/ ग्वालियर /चंबल/जबलपुर, इन्दौर ।
- 2- कार्यपालन यंत्री  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
तकनीकी संभाग भोपाल/भोपाल संभाग क्रमांक-02/  
इंदौर/उज्जैन/ जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा/  
होशंगाबाद/सिवनी/मुरैना/खरगोन/मंदसौर ।
- 3- भारसाधक अधिकारी/सचिव  
कृषि उपज मंडी समिति,  
----- जिला----- (समस्त)

विषय:- राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के सेवकों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत किये गये वेतन निर्धारण में दिनांक 01 मई 2020 (तृतीय किश्त) के संबंध में।

संदर्भ:- म. प्र. शासन वित्त विभाग का पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, दिनांक 22.07.2017, पत्र क्रमांक एफ 8-1/2018/नियम/चार, दिनांक 01 मई 2019, पत्र क्रमांक एफ 8-1/2018/नियम/चार, दिनांक 15 मई 2020 एवं म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3696 दिनांक 20.02.2020

उप सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप क्रमांक एफ 8-1/2018/नियम/चार, दिनांक 15 मई 2020 से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि कोविड-19 की आपदा के नियंत्रण के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मई 2020 में देय तृतीय एवं अंतिम किश्त के भुगतान को आगामी आदेश तक के लिये स्थगित किया जाता है परन्तु शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति /सेवात्याग/मृत्यु की स्थिति में तृतीय व अंतिम किश्त का भुगतान तत्काल किया जावेगा। उक्त ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त शासकीय निर्देश के आधार पर म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत सेवकों को म. प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत किये गये वेतन निर्धारण में दिनांक 01 मई 2020 में देय तृतीय किश्त को कोविड-19 की आपदा के नियंत्रण के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आगामी आदेश तक के लिये स्थगित की जाती है परन्तु किसी सेवक की सेवानिवृत्ति/सेवात्याग/मृत्यु की स्थिति में तृतीय व अंतिम किश्त का भुगतान तत्काल किया जावेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(सदीप यादव)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल




1/2/1

क्रमांक/बी-1/1/ख/29/901  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 19/05/2020

अपर संचालक (वित्त) म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

  
प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल



मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई, 2020

क्रमांक : एफ 8-1/2018/नियम/चार  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश ।

संदर्भ- पत्र क्रमांक एफ 8-1/2016/नियम/चार, भोपाल दिनांक 22-7-2017  
पत्र क्रमांक एफ 8-1/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 01 मई, 2019.

—\*—

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत हुए वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप देय बकाया राशि की तृतीय व अंतिम किश्त का भुगतान मई 2020 में किए जाने के निर्देश संदर्भित परिपत्रों द्वारा जारी किए गए थे ।

2/ कोविड-19 की आपदा के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मई 2020 में देय तृतीय व अंतिम किश्त के भुगतान को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है परन्तु शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति/सेवात्याग/मृत्यु की स्थिति में तृतीय व अंतिम किश्त का भुगतान तत्काल किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

वर्क को.  
18-5-20




पृष्ठा.क्रमांक : एफ 8-1/2018/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15 मई, 2020

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर
5. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ।
8. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल ।
9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
13. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
15. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
अवर सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग